भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 68

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निःशुल्क कानूनी सहायता

68. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विदेश में भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ताकि ऐसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की जा सके जिन्हें एजेंटों द्वारा धोखा दिया जाता है और जिन्हें कथित रूप से प्रायोजकों की क्रूरता और उनके द्वारा किया जाने वाला अन्याय सहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दूतावासों को सूचित किए गए ऐसे मामलो की सख्या कितनी है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) भारतीय मिशन और केंद्र ,भारतीय नागरिकों को जहां भी आवश्यक हो, एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों और प्रायोजकों आदि द्वारा शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न या अन्याय का सामना करने वाले लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कांसुलर सहायता भी प्रदान करते हैं। ऐसे सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी बनाए रखा जाता है जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है। भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में भारतीय श्रमिकों से फीडबैक प्राप्त करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कांसुलर शिविर आयोजित करते हैं। भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों में संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में परीक्षण के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत दिए गए समर्थन में कानूनी सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के दौरान यात्रा दस्तावेज/हवाई टिकट के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(ख) जीसीसी देशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जहां श्रम संबंधी अधिकांश मुद्दे सामने आते हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त श्रम शिकायतों (जिनमें कानूनी सहायता प्रदान की गई थी सहित) का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

देश	**वर्षवार प्राप्त श्रमिक शिकायतों की संख्या**		
	2021	2022	2023 (नवम्बर तक)
बहरीन	355	638	628
कुवैत	4339	5660	7303
ओमान	830	1299	1824
क़तर	1732	1690	1373
सऊदी अरब	1604	2614	2585
संयुक्त अरब अमीरात	1587	1448	1253

2014 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, ICWF फंड की 626 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग विदेशों में संकट में फंसे 3,42,543 भारतीयों की सहायता के लिए किया गया है। वर्ष 2014 से सितंबर, 2023 तक, विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा 3321 भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान की गई, 1,70,402 भारतीय नागरिकों को बोर्डिंग और लॉजिंग सहायता प्रदान की गई, 10,515 संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई, 37,459 फंसे हुए भारतीयों को हवाई मार्ग प्रदान किया गया और 3,461 भारतीय नागरिकों के शवों को हवाई मार्ग से लाया गया।

*****